केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110 067

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
18 MAR 2020
D. No.
Initials

CIC/AA/A/2020/79
CICOM/A/P/20/00034
CICOM/R/P/2020/00169

अपीलकर्ता का नाम: **श्री संजय दयाल**
2452, ए गली मण्डे वाली,
सदर बाजार, दिल्ली–110 006

1.	आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	29.11.2019
2.	आर.टी.आई. आवेदन के जवाब की तिथि	कोई जवाब नहीं
4.	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, जिन्होंने जवाब दिया	....
3.	प्रथम अपील की तिथि	अंकित नहीं
5.	निर्णय की तिथि	17.03.2020

प्रथम अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य:-

1. अपीलकर्ता ने अपने आर.टी.आई. आवेदन, जो दिल्ली नगर निगम (उत्तरी क्षेत्र), कश्मीरी गेट से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरण के माध्यम से प्राप्त हुआ था, निम्नलिखित सूचना की मांग की थी:

1. द्वितीय अपील संख्या (1) CIC/YA/A/2014/000251 (2) CIC/YA/A/2014/000225 (3) CIC/YA/A/2014/000253 और (4) CIC/YA/A/2014/000227 तथा दी गयी शिकायत सहित संलग्न 8 पृष्ठ पर सीआईसी द्वारा की गयी कार्रवाई की सूचना।
2. दिनांक 09.03.2016 को प्रेषित पत्र आयोग में किस तिथि को प्राप्त हुई, डायरी नंबर सहित बताएं।
3. वर्ष 2016, 2017, 2018 एवं 2019 में कितने द्वितीय अपील आवेदन आयोग में प्राप्त हुए एवं उनमें से कितने–कितने अपीलों का निष्पादन किया जा चुका है।
4. बिंदु संख्या 1 में बताई गई शिकायतों पर की गयी कार्यवाही। यदि कार्यवाही नहीं की गयी हो तो आवेदनकर्ता को बताया जाए कि शिकायतों से संबंधित आगे की कार्यवाही क्या और कहाँ करना है।

सीपीआईओ का जवाब :-

2. संचिका में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार प्रार्थी के उक्त आवेदन के संदर्भ में कोई भी सूचना प्रार्थी को प्रेषित नहीं की गयी है।

प्रथम अपील का आधार :-

3. आयोग को प्रेषित अपने प्रथम अपील में प्रार्थी ने यह अभियोग लगाते हुए कि उनके उक्त आवेदन के संदर्भ में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, आवेदन के माध्यम से वांछित सूचना प्रदान करवाये जाने का आग्रह किया है।

निर्णय :-

4. प्रस्तुत संदर्भ में तथ्यों का परीक्षण करने से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रार्थी का प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13.12.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग में प्राप्त हुआ तथा आयोग के डाक अनुभाग द्वारा इसे संबंधित उप–पंजीयक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री आर0 पी0 ग्रोवर को यथोचित कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया गया। तत्पश्चात श्री आर0 पी0 ग्रोवर ने आरटीआई आवेदन को संचिका संख्या CIC/YA/A/2014/000225 के साथ लिंक कर दिया।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के निस्तारण में प्रभारी, डाक अनुभाग एवं संबंधित उप–पंजीयक, जो प्रस्तुत मामले में संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी भी हैं, के स्तर से लापरवाही हुई है। प्रभारी, डाक अनुभाग एवं संबंधित उप–पंजीयक, श्री आर0 पी0 ग्रोवर को यह निर्देश दिया जाता है कि आरटीआई आवेदन के निस्तारण में सतर्कता बरतें अन्यथा भविष्य में ऐसी किसी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमानुसार यथाउपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी–सह–उप पंजीयक, श्री आर0 पी0 ग्रोवर को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तुत आदेश की प्राप्ति से शीघ्रता से 3 दिनों के अंदर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से वांछित सूचना का परीक्षण करें और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रार्थी को यथोचित सूचना प्रेषित करें।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि अपीलकर्ता प्रस्तुत निर्णय से असंतुष्ट हैं और चाहते हैं, वो केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष इस निर्णय के विरूद्ध 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक : मार्च 17, 2020

मीना शर्मा 17/3/2020

(श्रीमती मीना बी0 शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 26162290

प्रतिलिपि :-

1. **सी.पी.आई.ओ., आर.टी.आई. सेल, सीआईसी, नई दिल्ली।**
2. **श्री आर0 पी0 ग्रोवर, डी0आर0, सू0आ0–वाई0ए0, सीआईसी, नई दिल्ली।**
3. **श्री आर0 पी0 सिंह, प्रभारी, डाक अनुभाग, सीआईसी, नई दिल्ली।**

18/03/20

18/3/2020